गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एंव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
पन्तनगर फार्म पोस्ट–हल्दी जिला–ऊधम सिंह नगर, पिन–263145

दिनांक 21/5/2022

पत्रांक फार्म/मु0म0प्र0/क्र0वि0/ 1621 **सूचना**

पत्रांकः फार्म/क्र0वि0/मु0म0प्र0/1497 दिनांक 20.04.2022 द्वारा प्रकाशित विश्वविद्यालय फार्म के हल्दी प्रक्षेत्र एवं शैक्षणिक डेरी फार्म की 86.00 हैक्टेयर भूमि को लाइसेंस शुल्क के आधार पर (दिनांक 01.06.2022 से 31.05.2025 तक) तीन वर्ष की अवधि हेतु कृषि कार्य के लिए दिये जाने हेतु आमंत्रित निविदा/अनुबन्ध की शर्तों में बिन्दु संख्या–32 को निम्नवत् पढ़ा जाये :–

"यह है कि व्यापार कर स्टाम्प ड्यूटी अथवा अन्य किसी प्रकार का वैधानिक कर (यथा–जी0एस0टी0, इ0एस0आई0सी0 इत्यादि) जो नियमानुसार देय होगा तो वह द्वितीय पक्ष द्वारा स्वयं वहन करना होगा। लाइसेंस शुल्क पर दी गयी भूमि पर जिस वर्ष स्टाम्प शुल्क में बढ़ोतरी की जाती है तो द्वितीय पक्ष द्वारा स्टाम्प शुल्क के अन्तर के समतुल्य की धनराशि अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराया जायेगा। स्टाम्प ड्यूटी का चालान द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध निष्पादित किये जाने से पूर्व इस कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा। अन्यथा की स्थिति में जिला अधिकारी द्वारा आर0सी0 काटने की कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी लाइसेंस शुल्कदाता की होगी।"

उन प्रकरणों में जिनमें पुराने निविदादाताओं (जिनके द्वारा दिनांक 10.05.2022 तक डाली गयी निविदाओं) द्वारा 03 प्रतिशत् से कम की धरोहर राशि प्रस्तुत की गयी है, उनके द्वारा अन्तर की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जमा कराया जाना होगा।

अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे। उक्त क्रम में निविदा की अन्तिम तिथि 30.05.2022 के पूर्वान्ह् 11.00 बजे तक निविदा प्रपत्रों की बिक्री एवं निविदा पेटी में डालने का समय निर्धारित किया जाता है।

21/5/22

मुख्य महाप्रबन्धक, (फार्म)
दूरभाष–05944– 230243, 230245